



कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



कृष्ण कुटुम्ब
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

पत्रांक— **3077** /12-1 देहरादून : दिनांक: **30** जून, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग (भाग- I) के निर्माण हेतु 2.705 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online No FP/UK/ROAD/10393/2015)

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्र सं० -8बी०/यू०सी०पी/०६/१२४/२०१५/एफ०सी०/१५२४ दिनांक-०८.१०.२०१६।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 3147/12-1(2) दिनांक 28.05.2025 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र.सं	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.4100 हे० ग्राम कालनू सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या:-1 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.410 हे० ग्राम कालनू सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम-कालनू सिविल सोयम भूमि 5.410 हे० जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के आदेश सं० 2194/ग्यारह-14/2015 दिनांक 03.01.2025 संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-01)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं-5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० की गणना की एक प्रतिलिपि क्षेत्रीय कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या:-2 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7,64,800.00 (सात लाख चौसठ हजार आठ सौ मात्र) तथा एन०पी०वी० हेतु 25,39,995.00 (पच्चीस लाख उन्तालीस हजार नौ सौ पचानब्बे मात्र) की धनराशि एवं रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु 11,28,300.00 (ग्यारह लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ मात्र) की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। (संलग्नक-02)

3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या:-3 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 एवं पत्र संख्या-5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की पुनरीक्षित (नवीन) दरों के तहत रू0 9,57,164.00 (नौ लाख सत्तावन हजार एक सौ चौसठ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा कर दिया है। (संलग्नक-03)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल,सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स, फेज-1,लोधी रोड, नई दिल्ली में जमा कराया जाय एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाय।	शर्त संख्या:-4 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7,64,800.00 (सात लाख चौसठ हजार आठ सौ मात्र) तथा एन0पी0वी0 हेतु 25,39,995.00 (पच्चीस लाख उनचालीस हजार नौ सौ पित्तानब्बे मात्र) तथा मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण की धनराशि रू0 11,28,300.00 (ग्यारह लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ मात्र) तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि 9,57,164.00 (नौ लाख सत्तावन हजार एक सौ चौसठ मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा आनलाईन कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। (संलग्नक-02 एवं 03 के अनुसार)
5	मोटर मार्ग के निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर सड़क के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त संख्या:-5 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर मार्ग के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-05)

अतः अनुरोध है कि प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या : 3077 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

9. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, वन अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
10. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
11. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
12. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 3147/12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 28.05.2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा के अर्न्तगत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.705 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं०- 10393/2015)

सन्दर्भ :- भारत सरकार की पत्र सं०- 8बी/यू०सी०पी०/०६/१२४/२०१५/एफ.सी./१५२४/दि-०८.१०.२०१५

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के संबंध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक- 4288/12-1, दिनांक-20.05.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभारी अल्मोड़ा
आ.का.केर।

(डॉ. धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्र. ०००/१०/नो०
30-5-25

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि संरक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून.
पंजी० सं० 5493
पत्रावली 12-1
दिनांक 6-6-25

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com

Phone/Fax :- (05962) 230229

24 MAY 2025

पत्रांक 4288

/12-1

दिनांक 20/05/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.705 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/10393/2015)

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्र सं० -8बी०/यू०सी०पी/०६/ 124/ 2015/ एफ०सी०/ 1524
दिनांक-08.10.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र द्वारा जनपद अल्मोड़ा में बरतोली से बानठोक तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.705 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति के कुछ शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अल्मोड़ा ने अपनी पत्र सं० 216/3 सी० 18.01.2025 से अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या उपलब्ध की गयी है, जिसे निम्नानुसार बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है-

क्रम सं०	अधिरोपित शर्तें	अनुपालन आख्या
1	2	3
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.4100 है० ग्राम कालनू सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.410 है० ग्राम कालनू सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर ली गयी है। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं-5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० की गणना की एक प्रतिलिपि क्षेत्रीय कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7,64,800.00 (सात लाख चौसठ हजार आठ सौ मात्र) तथा एन०पी०वी० हेतु 25,39,995.00 (पच्चीस लाख उनचालीस हजार नौ सौ पचानब्बे मात्र) की धनराशि तथा रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु 11,28,300.00 (ग्यारह लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ मात्र) लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 31.03.2016 को जमा कर दी गयी है।
3.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि 9,57,164.00 (नौ लाख सत्तावन हजार एक सौ चौसठ मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 04.01.2025 को जमा कर दी गयी है। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल,सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1,लोधी रोड, नई दिल्ली में जमा कराया जाय एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाय।	प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7,64,800.00 (सात लाख चौसठ हजार आठ सो मात्र) तथा एन0पी0वी0 हेतु 25,39,995.00 (पच्चीस लाख उनचालीस हजार नौ सो पचानब्बे मात्र) तथा मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण की धनराशि रू० 11,28,300.00 (ग्यारह लाख अट्ठाईस हजार तीन सो मात्र) तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि 9,57,164.00 (नौ लाख-सत्तावन हजार एक सौ चौसठ मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा आनलाईन कैम्पा में जमा कर दी गयी है। (चालना की प्रति संलग्न)
5.	मोटर मार्ग के निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर सड़क के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर मार्ग के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा किजीएगा।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(दीपक सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

सिविल सोयम वन प्रभाग,
अल्मोडा।

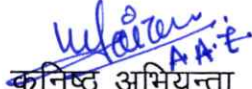
प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 1)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण

प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.410 है० ग्राम कालनू सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर ली गयी है। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है।


Akash

अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


K. N. Singh

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के आदेश संख्या 08बी./यू.सी.पी./06/124/2025/एफ.सी./1524 दिनांक 08-10-2015 से अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में बरतोली से बानढौक मोटर मार्ग (ग्राम 1) के निर्माण हेतु 2.705 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की रीढ़ान्तिक स्वीकृति प्रदान कृत हुए प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दोगुनी क्षेत्रफल की कुल 5.4100 है० सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित करने के निर्देश के क्रम में पूर्व में कार्यालय आदेश संख्या 3962/ग्यारह-14/2015 दिनांक 03-03-2015 के द्वारा ग्राम कालनू, पटवारी क्षेत्र पाखुड़ा तहसील रानीखेत के गै०ज०वि०ख०खा०संख्या-19/226 की श्रेणी-9(3)ड. योग्य बंजर भूमि के पैमायशी खेत न०-7230 रकबा-1.844 है० एवं खेत न०- 7237 मध्ये रकबा-0.841 है० इस प्रकार कुल-2.705 है० सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा पत्र संख्या 3439/3सी०(व०भू०) दिनांक 08-10-2024 एवं पत्र संख्या 3651/3सी० व०भू० दिनांक 30-11-2014 से उक्त जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानढौक मोटर मार्ग के निर्माण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 03-03-2015 के सापेक्ष 2.705 है० सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानढौक मोटर मार्ग के निर्माण मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.705 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल 5.4100 है० सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या- 2173/XVIII (II)/2012-18 (120) /2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में तथा याचक विभाग, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के अनुरोध के क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत द्वारा पत्र संख्या 228(मु०)/क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2024-25, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 से प्राप्त प्रस्ताव/आख्या संस्तुति के साथ निम्नवतः अभिलेखों सहित क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी भूमि की खतौनी, खसरा, नक्शा एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के आदेश संख्या 08बी./यू.सी.पी./06/124/2025/एफ.सी./1524 दिनांक 08-10-2015 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के आधार पर क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु पूर्व स्वीकृत 2.705 है० भूमि के अतिरिक्त ग्राम कालनू, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र पाखुड़ा तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के गैर ज०वि० खतौनी खाता संख्या- 19/226 श्रेणी 9(3)ड. बंजर काबिल आबाद के खेत संख्या- 2092 मध्ये रकबा 2.705 है० सिविल भूमि को क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, रानीखेत तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 02 जनवरी, 2025

(अल्लोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या-2194 / ग्यारह- 14/2015, दिनांक 03 जनवरी, 2025

प्रतिलिपि: निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 3- संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत।
- 5- तहसीलदार, रानीखेत को उक्तानुसार अनुपालन किये जाने हेतु प्रेषित।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

(आलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

प्रति लक्ष्मीपते
सुध
बसक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

ग्राम काटन

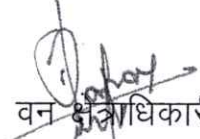
रा.उ.नि.अ. पाखुड़ा तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा

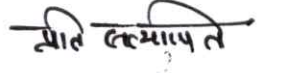
स्वतंत्रता का नाम	खेत संख्या	रकबा हे०	विवरण
प्रेमी १(उ)उ. कृषि योग्य	बंजर भूमि		जमीन जिला अधिकारी महोदय के आ. सं. ०३१६/ग्यारह-१२-२०१५ दि. ३/३/२०१५ के ग्रा.कानून पटवार क्षेत्र पाखुड़ा तहसील रानीखेत के गैर ज.वि. ख. खा. सं. ११/२३६ की प्रेमी १(उ)उ. योग्य बंजर भूमि के पैमाइशी खेत नं. ७२३३ मध्ये कुल रकबा १३३३ हे. सिविल भूमि क्षतिपूर्त वृक्षारोपण हेतु वन विभाग रानीखेत के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तांतरित/नामांतरित की जाती है।
बंजर का आ.	2	०.३८८	↓
	4	०.४२१	
	१	०.०५०	
	१६	०.०१८	
	↓	↓	
	क्रमशः	क्रमशः	↓ क्रमशः
	२०८१	०.०१८	↓
	२०१०	०.०३०	
	२०१२	१.३०६	
	२०१३	०.०४३	
	↓	↓	
	क्रमशः	क्रमशः	↓ क्रमशः
	७२३८	१.०२१	↓
	७२४०	०.०३१	
	७२४१	१.०५५	
	७२५०	४.२३५	
योग	४१२	११६.१४६	मु. आ. नयाबाद नं. १५२/३७०/५३१ सन ७०-७१ जमीन कृमि. कमिश्नर दिनांक १५/५/७२ के इनराम पु. नगर को खेत नं. ३१०५ म. ५ नाली भूमि बगीचा हेतु स्वीकृत होने पर अमल दरामद ग्रांट के रूप में किया।

दिनांक १५/०१/२०२५
 राजस्व उप निरीक्षक
 क्षेत्र... पाखुड़ा...
 तहसील... रानीखेत... (अल्मोड़ा)
 प्रति लक्ष्मिपते
 सहायक अभियन्ता
 निष्पत्ति कण्ड, लो० वि० वि०
 अल्मोड़ा

कब्जे में लिए जाने का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग के निर्माण के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम कालनू का क्षेत्र जो तीन खण्डों में प्राप्त हुआ है। प्रथम खण्ड 0.841 है०, द्वितीय खण्ड 1.864 है०, तृतीय खण्ड 2.705 है० कुल (5.410 है०) सिविल भूमि का लोक निर्माण विभाग अल्मोडा, राजस्व उपनिरीक्षक पाखुडा व वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त प्रथम खण्ड (0.841 है०), द्वितीय खण्ड (1.864 है०) तथा तृतीय खण्ड (2.705 है०) की अलग-अलग पिलरबंदी का कार्य करवा लिया गया है। उक्त भूमि को वन विभाग द्वारा कब्जे में ले लिया गया है।


वन क्षेत्राधिकारी
रानीखेत वन क्षेत्र।


सहायक अभियंता
निम्नर्ध खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोडा

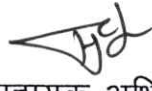
प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 2)

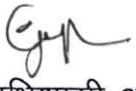
कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानढोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7,64,800.00 (सात लाख चौसठ हजार आठ सौ मात्र) तथा एन०पी०वी० हेतु 25,39,995.00 (पच्चीस लाख उनचालीस हजार नौ सौ पिचानब्बे मात्र) की धनराशि तथा रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु 11,28,300.00 (ग्यारह लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ मात्र) लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 31.03.2016 को जमा कर दी गयी है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

Sl. No.	Application No	PRINCIPLE (in Rs.)	Amount to be Paid/Amount Paid	Payment Detail	Demand Letter
16	FP/UK/ROAD/9428/2015 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9428/2015) Kalaota motor road	ROAD94282015513 11394282015513	28 Mar 2016	CA: 2849296/- Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 5808936/- Other Charges: 0/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total: 8658232/-	PAID Fund Demand Verified by : 07 Sep 2016 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Bank (Challan) Generated On : 07 Sep 2016 Transaction Date : 28 Sep 2016 Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/911612381212Y6EMR2016090622952.pdf) Generated Challan (./UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=ROAD94282015513)
17	FP/UK/Other/10886/2015 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/Other/10886/2015) Steel Girder Bridge of 20 m span at Airadhyo	OTHERS10886201511819910886201511814	May 2015	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 21409/-, side road felling : 161463/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total: 182872/-	PAID Fund Demand Verified by : 19 Mar 2016 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Generated On : 19 Mar 2016 Transaction Date : 31 Mar 2016 Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/3111912291210EWH8Hhthhthhthhthh.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=OTHERS108862015118)
18	FP/UK/ROAD/10393/2015 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10393/2015) Bartoli-Bantlok Motor Road (Part I)	ROAD103932015418 11310393201541808	Oct 2015	CA: 764800/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 2539995/-, road gap felling : 1128300/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total: 4433095/-	PAID Fund Demand Verified by : 19 Mar 2016 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Generated On : 19 Mar 2016 Transaction Date : 31 Mar 2016 Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/31119121412139AOB7bartoli.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD103932015418)

Bartoli, 19 Mar 2016

वरतली से वातांक तक को पिक

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 19-03-2016

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
Application No.	ROAD103932015418
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD AlmoraAlmora
Amount(in Rs)	4433095/-

Amount In Words :Forty-Four Lakh Thirty-Three Thousand
and Ninety-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089ROAD103932015418
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jellita Towers Mission Road Bangalore -560027

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

PIF No : ROAD1039320154

Serial : 3



पिक लक्ष्मीपत्त

अलका मिश्रा

विश्व बन्ध, लो पी पी
कलपोडा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० ३) वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

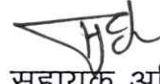
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि 9,57,164.00 (नौ लाख सत्तावन हजार एक सौ चौसठ मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 04.01.2025 को जमा कर दी गयी है। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।



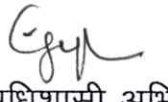
अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 04-01-2025

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
PIF/Application No.	6110393671
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/124/2015-FC
Address.	Construction Division PWD Almora Almora
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eeecdalmorapwd@rediffmail.com 9759892120 5962-230091
Amount(in Rs)	957164/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words: Nine Lakh Fifty-Seven Thousand One Hundred and Sixty-Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 04-01-2025

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
PIF/Application No.	6110393671
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/124/2015-FC
Address.	Construction Division PWD Almora Almora
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eeecdalmorapwd@rediffmail.com 9759892120 5962-230091
Amount(in Rs)	957164/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words: Nine Lakh Fifty-Seven Thousand One Hundred and Sixty-Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdes@forestsclearance.nic.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference

<https://forestsclearance.nic.in/useraccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=ROAD103932015671>

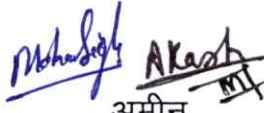
6016020250116882238

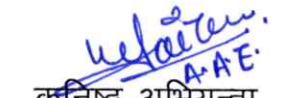
प्रति लक्ष्मीपते
विकासक अभियंता
मिशन रोड, लो नो मि
अल्मोड़ा

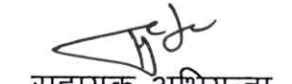
प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 4)

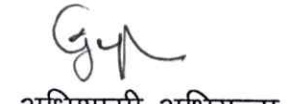
कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानढोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7,64,800.00 (सात लाख चौसठ हजार आठ सो मात्र) तथा एन०पी०वी० हेतु 25,39,995.00 (पच्चीस लाख उनचालीस हजार नौ सो पिचानब्बे मात्र) तथा मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण की धनराशि रू० 11,28,300.00 (ग्यारह लाख अट्ठाईस हजार तीन सो मात्र) तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि 9,57,164.00 (नौ लाख सत्तावन हजार एक सौ चौसठ मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा आनलाईन कैम्पा में जमा कर दी गयी है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशसी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 5)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर मार्ग के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 1)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित कार्य हेतु अधिरोपित वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

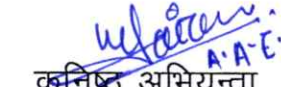
प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० २) वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

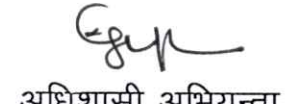
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि 9,57,164.00 (नौ लाख सत्तावन हजार एक सौ चौसठ मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 04.01.2025 को जमा कर दी गयी है।


अमीन

निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

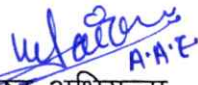

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० ३)

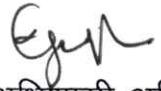
कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

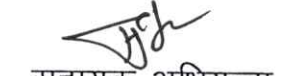
प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० ४)

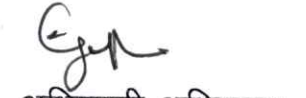
कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि वन क्षेत्र के आस-पास कोई लेबर कैम्प विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

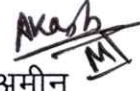

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

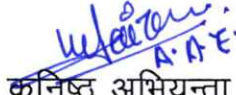
प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 5)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाती है तो निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

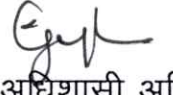
अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

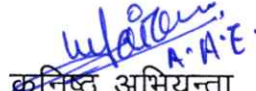
प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 6)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

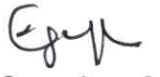
अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 7)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।



AKASH

अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० ८)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 529 से अधिक नहीं है।



अमीन

निर्माण खण्ड,

लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड,

लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड,

लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड,

लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० ९)

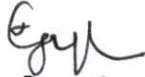
कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित की जायेगी।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 10)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानढोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलुवा नहीं फेंका जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

 **AKASH**
अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

 **A.A.E.**
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

 **S.A.E.**
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

 **A.S.E.**
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 11)

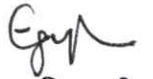
कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


Akash
अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


A.A.E.
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

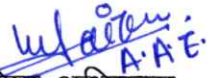

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 12)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बिन्दु का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006
दूरभाष: 0135-2750809,
ईमेल/Email - moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun - 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं० 08बी/यू0सी0पी0/06/124/2015/एफ0सी0/1524

दिनांक: 8, 10, 2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद-अल्मोड़ा के अंतर्गत बरतोली से बानढ़ोक मोटर मार्ग (भाग-I) हेतु 2.705 है० वन भूमि के लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

सन्दर्भ : अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक संख्या-346/X-4-15/1(167)/2015 दिनांक-21.05.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र एवं On Line Proposal No. FP/UK/ROAD/10393/2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे जिनकी अनुपालन online प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर ध्यान पूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद-अल्मोड़ा के अंतर्गत बरतोली से बानढ़ोक मोटर मार्ग (भाग-I) हेतु 2.705 है० वन भूमि के लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.4100 है० ग्राम-कालून सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) गणना की एक प्रतिलिपि क्षेत्रीय कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

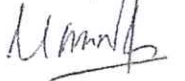
उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 5.4100 है० भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 529 से अधिक न हो।
9. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सन्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
12. ऐसी कोई भी अन्य शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,



(एम०एस० नेगी)
उप वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम०एस० नेगी)
उप वन संरक्षक